| |
|---|
| दिनांक 11.06.2024 |
| प्रेस विज्ञप्ति 12/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

**जनपद बहराइच/थाना दरगाह शरीफ**

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 11.06.2024 को थाना दरगाह शरीफ व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मल्हीपुर रोड के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नायाव अहमद उर्फ राजू को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद बहराइच, बाराबंकी के विभिन्न थानो में गैंगेस्टर एक्ट, धोखाधड़ी आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दरगाह शरीफ पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दरगाह शरीफ पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—नायाव अहमद उर्फ राजू निवासी ग्राम मरकामऊ थाना बदोसराय जनपद बाराबंकी।

**जनपद सहारनपुर/थाना गागलहेड़ी**

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 38 हजार रूपये नगद**
- **लूट का 01 टैबलेट**
- **02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 10.06.2024 को थाना गागलहेड़ी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जैन बाग तिवाया रोड़ के पास से 04 अभियुक्तों 1— राकेश

उर्फ डब्बू 2–सोनू 3–नितिन 4–रवि को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 38 हजार रूपये नगद, लूट का 01 टैबलेट, 02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.06.2024 को थाना गागलहेड़ी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया उक्त लूट की घटना से सम्बनधित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में लूट, विद्युत अधिनियम, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त राकेश उर्फ डब्बू के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना गागलहेड़ी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–राकेश उर्फ डब्बू निवासी ग्राम रंडोल थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

2–सोनू निवासी दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

3–नितिन निवासी दाबकी गुर्जर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

4–रवि निवासी गोकुलपुर कस्बा व थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।

**बरामदगी**

1–लूट के 38 हजार रूपये नगद।

2–लूट का 01 टैबलेट।

3–02 अवैध तमंचा विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 02 दो पहिया वाहन।

## जनपद बुलन्दशहर/थाना कोतवाली नगर

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 15 हजार 100 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 11.06.2024 को थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर महाराणा प्रताप चौक नहर के पास से पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्तों 1–निशान्त उर्फ निक्की 2–मोनू उर्फ पुष्पेन्द्र 3–शिवम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से लूट के 15 हजार 100 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.06.2024 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1–निशान्त उर्फ निक्की निवासी मो0वैष्णो एन्कलेव जांदपुर रोड़ थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

2–मोनू उर्फ पुष्पेन्द्र निवासी ग्राम नौसाना थाना चोला जनपद बुलन्दशहर।

3–शिवम निवासी जीटी रोड़ चांदपुर थाना कोतवाली नगर जनपद बुलन्दशहर।

**बरामदगी**

1–लूट के 15 हजार 100 रूपये नगद।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 कार, 01 मोटर साइकिल आदि।

**जनपद अयोध्या/थाना पूराकलन्दर**

- **पुलिस कार्यवाही में 01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय मैगजीन, जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉक:11.06.2024 को थाना पूराकलन्दर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खनुवावा कछौली के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त बृजेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय मैगजीन, जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुयी। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार के विरूद्ध जनपद अयोध्या के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–बृजेश निवासी गरौली तिवारी का पुरवा थाना हैदरगंज जनपद अयोध्या।

**बरामदगी**

1–02 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय मैगजीन, जीवित/खोखा कारतूस।

2–01 मोटर साइकिल।

## जनपद कुशीनगर/थाना तमकुहीराज

- **पुलिस कार्यवाही में 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 हजार 715 रूपये नगद**
- **38 एटीएम कार्ड**
- **04 मोबाइल फोन**
- **01 स्विफ्ट डिजायर कार**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः11.06.2024 को थाना तमकुहीराज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गाजीपुर के पास पुलिस कार्यवाही में 1–अभियुक्त मोहित 2–संदीप घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 3–रवि कुमार 4–अभिषेक सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 हजार 715 रूपये नगद, 38 एटीएम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 01 स्विफ्ट डिजायर कार, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त मोहित के विरूद्ध जनपद कुशीनगर, बलिया, गोरखपुर के विभिन्न थानों पर चोरी, लूट, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना तमकुहीराज पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–मोहित निवासी ग्राम सेमरा नम्बर 02 (खजांची चौराहा) थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर।

2–संदीप निवासी ग्राम गोविन्दपुर थाना सिकरीगंज जनपद गोरखपुर।

3–रवि कुमार निवासी ग्राम सेमरा नम्बर 02 थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर।

4–अभिषेक निवासी ग्राम जंगल छत्रधारी टोला शाहपुर थाना पिपराइच जनपद गोरखपुर।

**बरामदगी**

1–20 हजार 715 रूपये नगद।

2–38 एटीएम कार्ड।

3–04 मोबाइल फोन।

4–01 स्विफ्ट डिजायर कार ।

5–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

**ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी/जनपद चित्रकूट**

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 26 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 52 किलो 840 ग्राम अवैध गांजा**
- **03 मोबाइल फोन**
- **02 अवैध पिस्टल**
- **02 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनॉकः 11.06.2024 को ए0एन0टी0एफ0 थाना झॉसी टीम द्वारा सूचना के आधार पर रेलवे क्रासिंग खोह के पास रेलवे अण्डर ब्रिज के बगल थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट से 03 अभियुक्तों 1–इस्माइल 2–विष्णु 3–विजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 26 लाख 50 हजार रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 52 किलो 840 ग्राम अवैध गांजा, 03 मोबाइल फोन, 02 अवैध पिस्टल, 02 चार पहिया वाहन बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–इस्माइल निवासी गोल चौक के पास कबीर नगर थाना कबीरनगर जनपद रायपुर, छत्तीसगढ़।

2–विष्णु निवासी ग्राम राजामुण्डा थाना एम रामपुर जनपद काला हाण्डी, उड़ीसा।

3–विजय निवासी मोहल्ला जगदीशगंज थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट।

**बरामदगी**

1–लगभग 26 लाख 50 हजार रूपये( अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 52 किलो 840 ग्राम अवैध गांजा।

2–03 मोबाइल फोन।

3–02 अवैध पिस्टल।

4–02 चार पहिया वाहन।

- **जनपद बहराइच/थाना विशेश्वरगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बहराइच पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बहराइच द्वारा थाना विशेश्वरगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रामपाल 2–राजू को सश्रम आजीवन कारावास व 15–15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद चित्रकूट/थाना रैपुरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद चित्रकूट पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद चित्रकूट द्वारा थाना रैपुरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/315 भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त धीरेन्द्र प्रताप उर्फ कुल्लू को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 12 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद जौनपुर/थाना मछलीशहर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना मछलीशहर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366/376(2)(छः) भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मानिकचन्द्र को 14 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद भदोही/थाना कोईरौना (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद भदोही पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद भदोही द्वारा थाना कोईरौना पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–संदीप 2–फूलचन्द्र को 10–10 वर्ष के सश्रम कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

## एस0टी0एफ0–विगत 16 वर्षो से पुलिस अभिरक्षा से फरार, हत्या की घटना में आजीवन कारावास से दोषी 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर गिरफ्तार।

दिनांक 11–06–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को विगत 16 वर्षो से पुलिस अभिरक्षा से फरार हत्या की घटना में आजीवन कारावास से दोषी रू0 25 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–**

सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर राम, पुत्र राम करन मिश्रा, निवासी महराजगंज मिसिर गंजा, थाना हरैया, जनपद बस्ती।

**बरामदगीः–**

01 अदद मोबाइल फोन।

**गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–**

कैण्ट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 09 के पीछे, थाना कैण्ट जनपद वाराणसी। दिनांक 11–06–2024

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में उच्चाधिकारीगण द्वारा एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में निरीक्षक पुनीत परिहार एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी के नेतृत्व में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि विगत 16 वर्षो से पुलिस अभिरक्षा से फरार हत्याकाण्ड में आजीवन कारावास का सजायाफ्ता व 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सुरेश मिश्रा जनपद वाराणसी के थाना कैण्ट क्षेत्रान्तर्गत कैण्ट रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नं0 09 के पीछे मौजूद है, यदि शीघ्रता की जाये तो पकडा जा सकता है। इस सूचना पर उक्त टीम द्वारा विष्वस्त सूत्र द्वारा बताये गये स्थान पर पहुंचकर सुरेश मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि उसका सगे पट्‌टीदार रामाशीष मिश्रा से जमीन सम्बन्धी विवाद काफी समय से चला आ रहा था। दिनांक 12–02–2001 को बांस काटने की बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया, जिस दौरान इसने रामाशीष के पक्ष से आये विनोद मिश्रा पुत्र गजराज मिश्रा की चाकू मारकर हत्या कर दिया था। इस संबंध में जनपद बस्ती के थाना हरैया पर मु0अ0सं0 47/2001 धारा 302/ 323/504 भादवि सुरेश मिश्रा व इसके भाई रामसागर मिश्रा के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसमें स्थानीय पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इस लोमहर्षक हत्याकाण्ड में मा0 न्यायालय द्वारा दिनांक 24–03–2007 को अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था और इसे केन्द्रीय कारागार वाराणसी में निरूद्ध किया गया था। वर्ष 2008 में इसे पीलिया रोग हो गया, जिसके ईलाज के लिये जेल सुरक्षा कर्मियों की अभिरक्षा में राजकीय मण्डलीय

चिकित्सालय कबीरचौरा थाना कोतवाली जनपद वाराणसी में भर्ती कराया गया था। दिनांक 09–10–2008 को यह उक्त अस्पताल से फरार हो गया था। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली में मु0अ0सं0 255/2008 धारा 223/224 भादवि पंजीकृत हुआ था। फरार होने के उपरान्त यह दिल्ली जाकर लाल बहादुर राम के नाम से रहने लगा तथा वहीं पर राजगीर का काम करने लगा। फरार होने के उपरान्त अपना नाम–पता बदल–बदल कर भिन्न–भिन्न स्थानों पर रहने लगा।

उल्लेखनीय है कि वाराणसी पुलिस द्वारा इसके गिरफ्तारी हेतु 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित कर तलाश की जा रही थी, परन्तु काफी प्रयास के उपरान्त भी अभियुक्त सुरेश मिश्रा का कोई पता नहीं चल पा रहा था। आज दिनांक 11–06–2024 को अपने निजी काम से वाराणसी आया था, जिसे एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई वाराणसी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया।

उपरोक्त गिरफ्तार अभियुक्त सुरेश मिश्रा उर्फ लाल बहादुर राम को मु0अ0सं0 255/2008 धारा 223/224 भादवि में थाना कोतवाली, जनपद वाराणसी में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जायेगी।

——————